143

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 61–तीन/1996 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–7–1996 पारित द्वारा आयुक्त रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 138/1995–96 निगरानी

लालमन पुत्र श्रीकृष्ण ब्राहमण

(मृतक वारिस)

1– महिला धनमती पत्नि स्व.लालमन ब्राहमण

2– बाबूलाल 3– रंगनाथ 4– शत्रुघन

5– प्रेमलाल 6– नारेन्द्र सभी पुत्रगण स्व.लालमन ब्राहमण

7– श्रीमती द्रोपती पत्नि स्व. संतोष

8– आरेन्द्र पुत्र स्व. संतोष

9– सच्चीतानन्द पुत्र स्व. संतोन

10– योगेशकुमार पुत्र संतोष पुत्र लालमन

सभी ग्राम तुर्की तहसील अमरपाटन जिला सतना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन

2– हरीशंकर पुत्र जगदेव ग्राम देउ तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश

3– रामप्रताप पुत्र बृन्दावन

4– रामजीवन पुत्र बंशरूप दोनों ग्राम पोड़ी खुर्द तहसील अमरपाटन जिला सतना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

(अना0 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक २९–07–2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 138/95–96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–7–96 के विरूद्ध

म0प्र0कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 42 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी सह सक्षम अधिकारी, अमरपाटन द्वारा प्रकरण कमांक 479 अ 90/1974-75 में पारित आदेश दिनांक 26-10-1977 से धारक के पास म0प्र0कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पाने के कारण 4-46 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित करते हुये शासन हित में वेष्ठित की। इस आदेश के विरूद्ध स्वर्गीय लालमन ने आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 138/95-96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-7-96 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी सह सक्षम अधिकारी, अमरपाटन द्वारा प्रकरण कमांक 479 अ 90/ 1974-75 में पारित आदेश दिनांक 26-10-1977 से धारक की म0प्र0कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत 4-46 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक ने दिनांक 11-12-1975 को उजरदारी प्रस्तुत की थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने उजरदारी पर न तो सुनवाई की है और न ही साक्ष्य का अवसर दिया है, जब अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26-10-1977 के विरूद्ध आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष निगरानी की गई, आयुक्त रीवा संभाग ने उजरदारी संबंधी बिन्दु पर विचार किये बिना निगरानी निरस्त करने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर दिया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ

न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी सह सक्षम अधिकारी, अमरपाटन द्वारा प्रकरण कमांक 479 अ 90/1974-75 में पारित आदेश दिनांक 26-10-1977 से धारक की म0प्र0कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत 4-46 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की है उसके वाद मामला अपील/निगरानी न्यायालयों में चला है तथा अनुविभागीय अधिकारी सह सक्षम अधिकारी, अमरपाटन ने पुनः प्रकरण कमांक 13 अ 90 (3) 1984-85 में पारित आदेश दिनांक 25-5-1993 से निर्धारित सीमा से भूमि पाने के कारण कुल किता 6 कुल रकबा 4.46 एकड़ भूमि शासन हित में अतिशेष घोषित की है। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर सतना के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। कलेक्टर सतना ने प्रकरण कमांक 34 अ-90(3) 1991-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-6-1996 से अपील अस्वीकार की। यदि आवेदक अनुविभागीय अधिकारी सह सक्षम अधिकारी, अमरपाटन द्वारा प्रकरण कमांक 479 अ 90/1974-75 में पारित आदेश दिनांक 26-10-1977 से दुखी था, तब उसे तत्समय अनुविभागीय अधिकारी सह सक्षम अधिकारी, अमरपाटन के प्रकरण कमांक 13 अ 90 (3) 1984-85 में प्रचलित कार्यवाही में एंव कलेक्टर सतना के प्रकरण कमांक 34 अ-90(3) 1991-93 अपील में भाग लेकर पक्ष रखना था , जबकि आवेदक मृतक लालमन ने अनुविभागीय अधिकारी सह सक्षम अधिकारी, अमरपाटन द्वारा प्रकरण कमांक 479 अ 90/1974-75 में पारित आदेश दिनांक 26-10-1977 के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष दिनांक 17-7-1996 को लगभग 19 वर्ष के अन्तर से निगरानी प्रस्तुत की है इससे प्रतीत होता है कि आवेदक जानबूझकर कृषि सीलिंग के प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं होने देना चाहता एंव अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण को व्यर्थ लम्बित बनाये रखने की मॅशा रखता है। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 138/95-96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-7-96 में सही निष्कर्ष दिया है कि यदि आवेदक की उजरदारी पर तत्समय विचार नहीं किया गया था , उसे तभी इसके विरूद्ध सक्षम

न्यायालय में कार्यवाही करना थी। स्पष्ट है कि आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश दिनांक 23-7-96 में निकाला गया निष्कर्ष उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 138/95-96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-7-96 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर